10.5.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट सीवन में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071-74 ग्राम केसरीपुरा के खसरा नं. 197, 323, 366, 367 किता-4 कुल रकबा 7.37 है. की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम केसरीपुरा के भूमि ख.नं. 197, 323, 366, 367 किता-4 कुल रकबा 7.37 है. में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में पेश करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को कैम्प कोर्ट सीवन में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner